रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1973/आषाढ़ 9, 1895
No. 156] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1973/ASADHA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June 1973

G.S.R. 330(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Light Diesel Oil (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1973:—

1. (1) This Order may be called the Light Diesel Oil (Fixation of Ceiling Prices) Second Amendment Order, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Light Diesel Oil (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for clause (2) and (3), the following clauses shall be substituted, namely:—

'(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force in the States of Punjab, Rajasthan, Guzrat and Haryana on the 1st day of April, 1973 and in the remaining States and in the Union territories on the date of publication of the Light Diesel Oil (Fixation of Ceiling Prices) Second Amendment Order, 1973 in the Official Gazette and any reference in this Order to "the date of commencement of this Order" shall, in relation to any State or Union territory, mean the date on which this Order comes into force in such State or Union territory.'.

3. In paragraph 2 of the said Order,—

(a) in clause (b), in sub-clause (i), the words "in the case of an area in the State" shall be omitted;

(b) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(e) "State" includes a Union territory;

(f) "State Government", in relation to a Union territory, means the Administrator thereof appointed by the President under article 239 of the Constitution.'.

4. In paragraph 3 of the said Order, in clause (3), the words "as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf" shall be omitted.

5. In the Schedule to the said Order, after item (b), the following items shall be inserted, namely:—

"(c) Calcutta Gauhati Digboi/Barauni	Rs. 385.66
(d) Goa	Rs. 371.62
(e) Cochin	Rs. 372.41
(f) Madras	Rs. 387.54
(g) Vizag	Rs. 378.28"

[No. F. IS-28014/1/73-PPD]

A. P. VERMA, Jt. Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

सा० का० नि० 330(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइट डीज़ल आयल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1973 का और संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है:—

1. (1) यह आदेश लाइट डीजल आयल (अधिकतम कीमतों का नियतन), दूसरा संशोधन आदेश, 1973 कहा जासकेगा ।

(2) यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. लाइट डीजल आयल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1973 (इस में इस के पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) में, पैराग्राफ–1 में, धाराओं (2) और (3) के लिये, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात:—

'(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के राज्यों में अप्रैल, 1973 के प्रथम दिन से लागू होगा और शेष राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शासकीय राजपत्र में लाइट डीज़ल आयल (अधिकतम कीमतों का नियतन) द्वितीय संशोधन आदेश, 1973 प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और इस आदेश में "इस आदेश के लागू होने की तारीख" संबंधी कोई संदर्भ, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, का तात्पर्य उस तारीख से होगा जिस तारीख को ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में यह आदेश प्रवृत्त होगा ।'

3. उक्त आदेश के पैराग्राफ 2 में:—

(क) धारा (ख) में, उपधारा (I) में, शब्द "राज्य में किसी क्षेत्र के बारे में" निकाल दिये जाएंगे,

(ख) धारा (घ) के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

'(ङ) "राज्य" में एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल है;

(च) "राज्य सरकार" संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस के प्रशासक से है'।

4. उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 में, धारा (ख) में, शब्द "जैसा कि केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस बारे में विनिर्दिष्ट करे" निकाल दिये जाएंगे।

5. उक्त आदेश की अनुसूची में, मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"(ग) कलकत्ता/गोहाटी।दिल्ली/बरौनी	रुपये	385.66
(घ) गोआ	रुपये	371.62
(ङ) कोचीन	रुपये	372.41
(च) मद्रास	रुपये	387.54
(छ) विजाग	रुपये	378.28"

[सं० फा० आई एस-28014/1/73-पीपीडी]

ए० पी० वर्मा, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973